(b) the number of employees who had the court verdicts in their favour, railway wise;

(c) whether all such employees have been taken back to duty; and

(d) if not, how many are yet to be taken back and the reasons for not implementing the decisions of the Courts?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH):

(a) 918

(b) *Railway*	*No.*
Eastern Railway . . .	14
North Eastern Railway . .	1
Northeast Frontier Railway	13
Southern Railway . .	4
South Eastern Railway . .	88
Western Railway . . .	72
Total	192

(c) and (d). 102 employees were taken back to duty, of whom 8 have been placed under suspension for taking further action and 14 have again been dismissed from service. The judgments permitted further action being taken against these individuals.

In the case of 23 employees, appeals have already been filed against the judgments. The question of filling appeals in respect of the remaining 67 employees is under active consideration.

मुआवजे के लिये दावों के मामले

68. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे द्वारा ले जाने वाले सामान के खोने, चोरी होने तथा उठाये जाने के कारण मुआवजे के दावों के मामलों की संख्या कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या गत छः महीनों में मध्य रेलवे पर होने वाले नये दावों के मामलों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें दावों की रोकथाम के सम्बन्ध में किये गये उपायों का उल्लेख है ।

(ग) विभिन्न दावा निरोधक उपायों के परिणामस्वरूप मध्य रेलवे पर पिछले 6 महीनों के दौरान नये दावों की गणना घट कर 11,657 हो गई है जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से स्पष्ट है ।

मध्य रेलवे :

अवधि	प्राप्त नये दावों की संख्या
जनवरी, 76 से जून, 76	20,499
जनवरी, 75 से जून, 75	32.156

विवरण

दावों की घटनाओं को कम करने के लिये रेल प्रशासनों द्वारा सतत और जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। दावों की रोकथाम के लिये रेलों द्वारा हाल में जो महत्वपूर्ण

एवं समन्वित उपाय किये गये हैं वे नीचे दिये गये हैं :—

(1) भेद्य खण्डों में इस्पात तथा लोहा, खाद्य सामग्री, चीनी तिलहन, आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों की रेल सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा पहरे की व्यवस्था।

(2) रेल सुरक्षा दल के सशस्त्र जवानों द्वारा भेद्य यार्डों में गश्त लगाना ;

(3) अपराधियों को पकड़ने तथा चोरी का सामान खरीदने वालों की सूचना एकत्र करना तथा रेलवे के अपराध आसूचना कर्मचारियों तथा केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, रेलवे बोर्ड द्वारा अचानक छापे मारना।

(4) सरकारी रेलवे पुलिस रेल सुरक्षा दल तथा रेल कर्मचारियों के बीच निकट समन्वय स्थापित करना,

(5) चीनी, खाद्य पदार्थ, दालें, तिलहन आदि के परेषणों से भरे माल डिब्बों को पल्ले वाले दरवाजों की रक्षा के लिये निभार की व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया जाता है।

(6) परेषणों को बरबाद होने से बचाने के लिए उस पर उपयुक्त निशान पता तथा लेबल लगाये जाते हैं।

(7) कीमती माल से भरे माल डिब्बों को रिवेट करने के लिये नटों और बोल्टों का प्रयोग किया जाता है ;

(8) माल डिब्बों का उचित रख-रखाव किया जाता है ताकि माल डिब्बों में सुराखों के फलस्वरूप उनका रिसाव तथा यानान्तरण को कम किया जा सके, और भंडों से होने वाली क्षति तथा दरवाजे और डिब्बों के सुराखों से की जाने वाली उठाईगीरी कम की जा सके।

(9) दोषपूर्ण माल डिब्बों व चालन को कम करने के लिये सरसरी जांचों, यार्डों तथा रूग्ण शेडों में माल डिब्बों के पैनल-नटों की मरम्मत करना ;

(10) लदान तथा उतराई कार्यों के दौरान बड़ों का व्यवस्थित निशान तथा उनका पर्यवेक्षण किया जाता

(11) एक लाइन से दूसरी लाइन के यानान्तरण स्थलों तथा रीपैकिंग स्थलों पर गहन पर्यवेक्षण किया जाता है ;

(12) कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का अविलम्ब निर्धारित करने, और

(13) भीगने के कारण हानि से बचाव के लिये मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरती जाती है।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् रेलों द्वारा ले जाये जाने वाले परेषणों को हानि, चोरी, उठायीगीरी, टूटफूट तथा बरबादी से बचाने के लिए एक विशेष दावा निरोधक अभियान चलाया गया था। भिन्न भिन्न मुख्यालयों में जुलाई 1975 से लगभग हर मास उच्च स्तरीय दावा निरोधक बैठकें होती हैं जिसमें सभी स्तरों पर कर्मचारियों के बीच अधिक सतर्कता

दरतने पर जोर दिया जाता है । सामान्य दावा निरोधक उपायों में तेजी लाने के अतिरिक्त, रेल सुरक्षा दल के कार्य प्रणाली को सुप्रग्राही बनाया गया है। दोषी कर्मचारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है, वाणिज्यिक अनियमतता को ठीक-ठाक करके पर्यवेक्षण कार्य को सुदृढ़ किया जाता है ।

मध्य प्रदेश के बस्तर और खारगोन जिलों में रेल लाइनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता

69. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर और खारगोन जिलों में रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है , और

(ख) क्या इन परियोजनाओं के ऐसे अल्प विकसित तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में होने के कारण जहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किसी भी नई रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया है, इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). वाल्तेर और किरन्दुल के बीच 446 कि० मी० लम्बी रेल लाइन पहले ही बनाई जा चुकी है, जो मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र से भी गुजरती है ।

2 बस्तर जिले के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये डल्ली राजहरा-जगदलपुर नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिये अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि 234 कि० मी० लम्बी इस लाइन के निर्माण पर 46 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और भाप इंजन से गाड़ियां चलाने पर 7.84 प्रतिशत (डी० सी० एफ०) तथा डीजल इंजन से गाड़ियां चलाने पर 7.97 प्रतिशत (डी० सी० एफ०) प्रतिफल प्राप्त होगा। रिपोर्टों की जांच हो जाने के पश्चात् इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई फैसला किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिये धन उपलब्ध हुआ । मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में लाइन बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले रेलवे लेविल क्रासिंग पर हुई दुर्घटनायें

70. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले रेलवे लेविल-क्रासिंग पर कितनी दुर्घटनायें हुई ,

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे क्रासिंग की संख्या कम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1973-74, 1974–75 और 1975–76 के दौरान मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले समपारों पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकरा जाने की 15 घटनाएं हुई थी ।

(ख) भारतीय रेलों पर 'सी' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले समपार 22,000 से अधिक हैं । इन सभी बिना चौकीदार वा समपारों पर चौकीदार तैनात करने को